

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
लोक अदालत कैम्प कोर्ट बावलास तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:-श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-101/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
श्री रतनलाल पिता भंवरलाल जाट, उम्र बालिग निवासी बावलास तहसील मांडल जिला  
भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान) -----प्रतिवादी

वादी की ओर से श्री ----- एडवोकेट और प्रतिवादी की  
ओर से श्री ----- एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 6.7.  
2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता  
है कि और डिक्री की जाती है कि ----- और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत  
रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर  
से ब्याज सहित द्वारा राशि ----- को दी जायें।

वादी अपने वाद पत्र धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955 को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज  
किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

( सी.एल.शर्मा )

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा



आज दिनांक 6.7.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

उपखण्ड अधिकारी,  
मांडल जिला भीलवाड़ा